रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2008/अग्रहायण 14, 1930
No. 200] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2008/AGRAHAYANA 14, 1930

भारतीय उपचर्या परिषद्

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2008

फा. सं. 11-1/2007-भा.उ.प.—भारत के दिनांक 15-4-2008 के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित दिनांक 1-4-2008 की अधिसूचना संख्या 11-1/2007-भा.उ.प. का आंशिक संशोधन करते हुए, एम.एस.सी. (उपचर्या), 2008 नामक विनियमों के अधीन उपचर्या कालेज खोलने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तथा न्यूनतम अपेक्षाओं के तहत पैरा संख्या 6 और 7 के स्थान पर निम्न पैरे रखे जाएंगे :—

6. यदि संस्थान को बी.एस.सी. (उपचर्या) के लिए मान्यता प्राप्त है और यदि आई एन सी द्वारा उपयुक्त पाए जाने के बाद एक बैच ने पास कर लिया है तो ऐसे संस्थान को एम.एस.सी. (उपचर्या) कार्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी ।

7. उच्च विशेषज्ञता वाले अस्पताल एम.एस.सी. *(उपचर्या) पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं लेकिन उन्हें एम.एस.सी. (उपचर्या) कार्यक्रम शुरू करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार से अनापत्ति/अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा ।

*उच्च विशेषज्ञता अस्पताल एम.एस.सी. (उपचर्या) पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं बशर्ते कि उनके पास संबंधित विशेषज्ञता की शय्याएं हों ।

हृदवक्ष शय्याएं

- 50--100 शय्याओं वाला हृदयरोग अस्पताल जिसमें स्वयं अपने वक्ष यूनिट अथवा संबंधनप्राप्त वक्ष यूनिट सहित सीसीयू, आईसीसीयू तथा आईसीयू यूनिट हों ।

गंभीर देखभाल शय्याएं

- 250—500 शय्याओं वाला अस्पताल जिसमें 8—10 गंभीर देखभाल शय्याएं तथा आईसीयू हों ।

ओबीजी विशेषज्ञता शय्याएं

- 50 शय्याओं वाला मूल अस्पताल जिसमें निम्न सुविधाएं हों :
  - (i) मातृ और नवजात यूनिट
  - (ii) प्रति वर्ष कम से कम 500 प्रसवों का केस भार
  - (iii) स्तर II की 8-10 नवजात शय्याएं
  - (iv) स्तर III की नवजात शय्याओं के साथ संबंधन

तंत्रिका विशेषज्ञता शय्याएं

- उन्नत नैदानिक, उपचारात्मक तथा नवीनतम नैदानिक सुविधाओं से युक्त कम से कम 50 शय्याओं वाला तंत्रिका देखभाल संस्थान ।

अर्बुद-विज्ञान विशेषज्ञता शय्याएं

- रसायन चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा, प्रशामक देखभाल, अन्य नैदानिक तथा समर्थनकारी सुविधाओं सहित चिकित्सीय तथा शल्यक्रियात्मक अर्बुद-विज्ञान यूनिटों से युक्त कम से कम 100 शय्याओं वाले क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र/कैंसर अस्पताल ।

विकलांग विशेषज्ञता शय्याएं

- 250—500 शय्याओं वाला अस्पताल जिसमें 50 विकलांग शय्याएं तथा पुनर्वास यूनिट हों ।

मनोविकारी शय्याएं

- सभी प्रकार के रोगियों (गंभीर, चिरकारी, वयस्क मनोविकारी शय्याएं, बाल मनोविकारी शय्याएं तथा व्यसन-उन्मूलन सुविधाएं) सहित कम से कम 50 शय्याओं वाले मनोविकारी तथा मानसिक स्वास्थ्य संस्थान जिनमें उन्नत नैदानिक, उपचारात्मक तथा नवीनतम नैदानिक सुविधाएं मौजूद हों ।

बालचिकित्सा शय्याएं

- बालचिकित्सा शल्यक्रिया तथा स्तर II अथवा स्तर III के नवजात यूनिटों सहित 50—100 शय्याओं वाले बालचिकित्सा अस्पताल/यूनिट ।

जठरांत्ररोग शय्याएं

- 50—100 जठरांत्ररोग शय्याएं

वृक्क-मूत्र रोग विशेषज्ञता शय्याएं

- डायलिसिस तथा वृक्क प्रत्यारोपण, मूत्रीय-शल्यक्रिया सहित 50—100 शय्याओं वाला अस्पताल ।

टी. दिलीप कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/असा./102/2008]

INDIAN NURSING COUNCIL

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th November, 2008

F. No. 11-1/2007-INC.—In partial modification of Notification No. 11-1/2007-INC, dated 1-4-2008 published in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) of 15th April, 2008 paras 6 And 7 under the Guidelines and minimum requirements for setting up of a College of Nursing under the regulations entitled M.Sc. (Nursing), 2008 (Page 83, Gazette of India, dated 15-4-2008) will be substituted by the following :—

Para 6 If the institution is recognized for B.Sc.(N) programme and if one batch has passed out after found suitable by INC, then the institution will be exempted from NOC/Essentiality certificate for M.Sc. (N) programme from the State Government.

Para 7 Super-Speciality Hospitals* can start M.Sc. (N) programme, however they have to get NOC/ Essentiality certificate from respective State Government to start the M.Sc. (N) programme.

*Super Speciality Hospital are eligible to start M.Sc. (N) provided they have respective speciality beds.

Cardio thoracic beds

- 50—100 bedded Cardiac Hospital, which has CCU, ICCU and ICU units with own thoracic unit or affiliated thoracic unit.

Critical Care beds

- 250—500 bedded Hospital, which has a 8—10 heds critical care beds and ICUs.

OBG speciality beds

50 bedded parent hospital having :

(i) Mother and neonatal units

(ii) Case load of minimum 500 deliveries per year

(iii) 8—10 level II neonatal beds

(iv) Affiliation with level III neonatal beds.

Neuro speciality beds

- Minimum of 50 bedded Neuro care institution with advanced diagnostic, therapeutic and state of the art clinical facilities.

Oncology speciality beds

- Regional Cancer Centres/Cancer Hospitals having minimum 100 beds, with medical and surgical oncology units with chemotherapy, radiotherapy, palliative care, other diagnostic and supportive facilities.

Orthopaedic Speciality beds

- 250—500 bedded Hospital, which has a 50 orthopaedic beds and rehabilitation units.

Psychiatric beds

- Minimum of 50 bedded institutes of psychiatry and mental health having all types of patients (acute, chronic, adult psychiatric beds, child psychiatric beds and de-addiction facilities), with advanced diagnostic, therapeutic and state of the art clinical facilities.

Paediatric beds

- 50—100 bedded paediatric Hospital/unit with paediatric surgery and level II or III neonatal units.

Gastroentrology beds

- 50—100 bedded gastroentrology hospital/unit.

Nephro-Urology speciality beds

- 50—100 bedded nephro urology hospital with dialysis and kidney transplants, urosurgery.

T. DILEEP KUMAR, President

[ADVT III/IV/Exty./102/2008]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.